पत्रांक : 11/नि1–04/08 1863

<u>बिहार सरकार</u>

<u>मानव संसाधन विकास विभाग, पटना।</u>

प्रेषक :–

अंजनी कुमार सिंह

प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक

पटना दिनांक : 03 नवम्बर, 08

विषय :– द्वितीय चरण के शिक्षक नियोजन से संबंधित निदश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि द्वितीय चरण के षिक्षक नियोजन के क्रम में क्षेत्रों के कतिपय सूचना परिवाद प्राप्त हो रहे हैं। निम्नलिखित निदेष परिपादित हैं :

1. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद एवं हिन्दी विद्यापीठ, देवधर द्वारा प्रदत्त क्रमषः षिक्षा विषारद एवं साहित्यालंकार योग्यताधारी अभ्यर्थियों से अभ्यावेदन स्वीकार किया जाएगें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेष के आलोक में विभाग द्वारा निर्गत आदेष के फलाफल से यह प्रभावित होगा। आवेदन के समय आवेदक से इस संबंध में अंडरटेकिंग प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. षिक्षक आयोजन हेतु विहित प्रपत्र (विभागीय अधिसूचना में संलग्न) (मुद्रित/अंकित/हस्तलिपि) में आवेदन निर्धारित योग्यता के अनुसार सभी अंक पत्र/प्रमाण पत्र (स्वअभिप्रमाणित) आवेदित करना होगा।
3. आवेदन संबंधित नियोजन निकाय द्वारा निर्धारित/चिन्हित कार्यस्थल पर सीधे प्राप्त किए जाएंगे। आवेदक निबंधित डाक से संबंधित नियोजन निकाय से भी आवेदित कर सकेंगे। संबंधित निकाय में निर्धारित तिथि तक निबंधित डाक से आवेदन प्राप्त न होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. षिक्षक नियोजन में आवेदन पत्र के साथ आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नहीं है। नियोजन के पूर्व कांउस्लिंग के क्रम में बिहार के निवासी होने का यथा आवष्यक निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन पत्र के साथ दो लिफाफा 10''X6'' साईज का अपना पता लिखा हुआ आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन के साथ लिफाफा जमा नहीं किया है, उनहें अब देने की आवष्यकता नहीं है और इस कारण उसका आवेदन रद्द नहीं होगा।
6. षिक्षक नियोजन के लिए निर्धारित समय–तालिका के अनुसार विभिन्न जिलों के विभिन्न नियोजन निकायों का काउंसिलिंग निर्धारित एक ही तिथि को सुनिष्चित किया जायेगा। अतः अपने निकायों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर यह प्रचार–प्रसार सुनिष्चित किया जाये।

7. जिले के विभिन्न नियोजन निकायों द्वारा कोटिवार रिक्ति की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में की गई है। यह आवेदक की सुविधा के लिए किया गया है। आवेदक अपने कोटि की जहाँ रिक्ति है, वहीं आवेदन करेंगे।

इन निदेषों का विस्तृत प्रचार–प्रसार करायें।

विष्वासभाजन

(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

पत्रांक : 1863 पटना, दिनांक 03.11.08

प्रतिलिपि :–

सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उप षिक्षा निदेषक को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव